भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1967

शुक्रवार, 23 दिसंबर, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए
प्रधानमंत्री गतिशक्ति एनएमपी के अंतर्गत बिहार के लिए निधि

1967. श्री सतीश चंद्र दूबे:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति-राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) के उद्देश्य और विशेषताएं क्या-क्या हैं;

(ख) प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अंतर्गत हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों/मंत्रालयों द्वारा कितनी प्रमुख परियोजनाओं की पहचान की गई है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अनुमानित लागत क्या है;

(घ) बिहार राज्य में शुरू की गई परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ङ) अवसंरचना परियोजनाओं की समेकित या योजना और समयबद्ध तरीके से इनके समान्वित निष्पादन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सोम प्रकाश)

(क), (ख) और (ङ): पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान (एनएमपी), मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स कुशलता में सुधार करने और लोगों, वस्तुओं की निर्बाध आवाजाही की महत्वपूर्ण अवसंरचनागत कमियों को दूर करने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों में एकीकृत एवं समग्र प्लानिंग हेतु परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है जिसका फोकस बाधाओं को कम करना तथा परियोजनाओं का समय से पूरा होना सुनिश्चित करना है।

जीआईएस (भौगोलिक सूचना प्रणाली) आधारित प्लेटफॉर्म पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान (एनएमपी) का एक डिजिटल घटक है जो देश में अवसंरचना संबंधी भूस्थानिक आंकड़ों और सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्लानिंग पोर्टल्स को एकीकृत करता है। इसे अक्टूबर, 2021 में शुरु किया गया था जिसका उद्देश्य एकीकृत प्लानिंग के लिए डाटा आधारित निर्णय लेने, परियोजनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करने, समन्वित कार्यान्वयन करने, लागत व समय का इष्टतमीकरण करने तथा परियोजना निगरानी में सहायता करना है।

बेहतर निर्णय क्षमता और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए, केंद्र में संस्थागत व्यवस्था के रूप में सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएस), नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (एनपीजी) और तकनीकी सहायता इकाई (टीएसयू) का गठन किया गया है। सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में भी ईजीओएस, एनपीजी और टीएसयू का गठन किया गया है।

इसके अलावा, एकीकृत प्लानिंग तथा अवसंरचना परियोजनाओं के समयबद्ध समन्वित कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं;

(i) एनपीजी, ईज़ ऑफ गवर्नेंस में सहायता प्रदान कर रहा है क्योंकि प्लानिंग स्तर पर ही अपनी प्राथमिकताओं को दर्शाने के लिए सभी संबंधित मंत्रालयों में परियोजनाओं पर चर्चा की जाती है। अंतिम छोर तक मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन करने और अनुमोदन हेतु इसकी सिफारिश करने के लिए नियमित अंतराल पर एनपीजी की बैठकें आयोजित की जाती हैं।

(ii) परियोजना की प्लानिंग एनएमपी प्लेटफार्म का उपयोग करके की जाती है जिसमें सभी संबंधित मंत्रालय अन्य के साथ-साथ, मौजूदा अवसंरचना, अवसंरचना में कमी, योजनाबद्ध अथवा कार्यान्वयन के तहत परियोजनाओं, संभावित व्यवस्था के साथ-साथ भूमि के प्रकार के संबंध में देखा जा सकता है। यह हितधारकों की आवश्यकताओं और परियोजनाओं की प्लानिंग से संबंधित डाटा-आधारित निर्णय लेने में सहायता करता है।

(iii) कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में, परियोजनाओं की निगरानी, परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) पोर्टल द्वारा की जा रही है। यह परियोजनाओं से संबंधित समस्याओं के सक्रिय समाधान की सुविधा प्रदान कर रहा है जो अन्यथा समय और लागत में वृद्धि के कारण बन सकते हैं।

(iv) केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रालयों के हॉरिजोन्टल एकीकरण ने सभी स्तरों पर परियोजना प्लानिंग से संबंधित डाटा-आधारित निर्णय लेने के बारे में उन्हें संवेदनशील बनाया है।

(ग) और (घ): बिहार राज्य से गुजरने वाली परियोजनाओं सहित पीएम गति शक्ति के तहत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा चिन्हित परियोजनाओं की सूची नीचे दिए गए लिंक पर दी गई है: **https://dpiit.gov.in/sites/default/files/Parliament_Questions_Logistics_Division.pdf**

उपर्युक्त चिह्नित और सूचीबद्ध परियोजनाओं के अलावा, अवसंरचना विकास के लिए राज्यों द्वारा अधिक पूंजीगत व्यय हेतु वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने 'वर्ष 2022-23 के लिए पूंजी निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता स्कीम' के भाग-।। (पीएम गतिशक्ति संबंधी व्यय के

लिए) के जरिए राज्यों के बीच शून्य ब्याज दर पर दीर्घावधिक ऋण के रूप में संवितरित किए जाने हेतु 5000 करोड़ रूपये का अतिरिक्त प्रावधान किया है जिसमें से 490.36 करोड़ रूपये बिहार को आवंटित किए गए हैं।

*****